न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 306 / 16 निर्णय दिनांक: 09-12-2019
(आरसीएमएस संख्या 2016 / 00293)

1. मजीदन बेवा अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 06-05-1989
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 06-05-1989 जिसके द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नही हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नही है।

तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खारिजी प्रार्थना पत्र को जरिये पैड संख्या 717 क्रम संख्या 266 मिसल संख्या 91/98 आयुक्त उपनिवेशन एवं अभिलेखागार में जमा करवा दी गई। कालान्तर में अपीलांट की पत्रावली को विडिंग कमेटी द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1954 की धारा 137 के अनुसार विडिंग करने की अवधि अर्थात 12 वर्ष उपरान्त अपीलांट की पत्रावली को विनिष्ट कर दिया गया। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट से पुनः दस्तावेज लेकर नई पत्रावली संयोजित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–05–1989 के विरूद्व अपील 11–08–2014 को पेश की है। जो करीब 25 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–05–1989 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 11–08–2014 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 1989 में आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उसके पश्चात् अपीलांट द्वारा आगामी 25 वर्षो में अपने प्रार्थना पत्र पर भूमिहीन आवंटन कराने हेतु किसी प्रकार की कोई चाराजोई नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 1998 में अपीलांट के प्रार्थना पत्र को

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

विडिंग कमेटी के निर्णय के अनुसरण में विनिष्ट किया जा चुका है। अपीलांट स्वयं इतनी लम्बी अवधि तक अपने अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के संतोषजनक कारण अंकित नहीं किये है। न्याय का भी यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 06–05–1989 बहाल रखा जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09–12–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 11:23:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: